



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
 18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Shri Rao Inderjit Singh** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **129** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	HARSHAL YADAV	RUPESH KUMAR YADAV MOB- 9818486707	5	NSG MANESAR
2	JAI YADAV	VEER KUMAR MOB- 9518643432	4	SECTOR 14 GURUGRAM
3	BHARATI	MAHENDER KUMAR MOB- 9812601674	2	NSG MANESAR
4	KRISHNA SAHU	PRABHATI LAL MOB- 9588599725	9	SECTOR 14 GURUGRAM
5	UTKARSH YADAV	VIKAS YADAV MOB- 9958958810,9212896477	2	SECTOR 14 GURUGRAM
6	MAHAK YADAV	MANOJ YADAV MOB- 9999939007	5	NSG MANESAR
7	DEVANSH ARORA	AMIT KUMAR ARORA MOB- 9625006583	1	SECTOR 14 GURUGRAM
8	PRASHANT	SANJEET MOB- 9811458687	3	CRPF CAMP KADARPUR
9	TUSHAR	RANJEET MOB- 9812389995	5	NSG MANESAR
10	PARAM DIXIT	ASHWANI KUMAR KAUSHIK MOB- 9953445393	2	SECTOR 14 GURUGRAM

पि. ठाकुर कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Rao Inderjit Singh माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **GURUGRAM** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)